बिजनेस स्टेंडर्ड

12/02/2020

दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

(सीआईएन: L74899DL1956GOI002674)

पंजीकृत कार्यालय: जवाहर व्यापार भवन, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन: 011-23313177 फैक्स: 011-23701123, 23701191

31 दिसंबर, 2019 को समाप्त अवधि के वित्तीय परिणामों की विवरणिका

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	पृथक						समेकित					
		31.12.2019 को समाप्त तिमाही	30.09.2019 को समाप्त तिमाही	31.12.2018 को समाप्त तिमाही	31.12.2019 को समाप्त नौ माह	31.12.2018 को समाप्त नौ माह	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.12.2019 को समाप्त तिमाही	30.09.2019 को समाप्त तिमाही	31.12.2018 को समाप्त तिमाही	31.12.2019 को समाप्त नौ माह	31.12.2018 को समाप्त नौ माह	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
		(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय	315.05	156.71	1,622.60	2,732.35	8,193.10	8,903.44	315.05	156.71	1,622.60	2,732.35	8,193.10	8,903.44
2	अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर पूर्व, अपवाद और/या असाधारण मदों)	(3.15)	(10.15)	(162.12)	(25.86)	(172.79)	(182.68)	(3.49)	(10.39)	(162.12)	(26.89)	(174.21)	(184.57)
3	अवधि के लिए कर पूर्व निवल लाभ/(हानि) (अपवाद और/या असाधारण मदों के पश्चात)	(5.93)	(7.62)	(827.37)	(107.89)	(838.34)	(897.12)	(6.27)	(6.32)	(827.37)	(107.38)	(839.57)	(899.06)
4	अवधि के लिए कर पश्चात निवल लाभ/(हानि) (अपवाद और/या असाधारण मदों के पश्चात)	(5.93)	(7.62)	(839.23)	(107.89)	(851.10)	(881.08)	(6.27)	(6.32)	(839.23)	(107.38)	(852.33)	(883.02)
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर पश्चात) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) सहित]	(5.93)	(7.62)	(839.23)	(107.89)	(851.10)	(879.46)	(6.27)	(6.32)	(839.23)	(107.38)	(852.33)	(881.40)
6	इक्विटी शेयर पूंजी	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
7	अन्य इक्विटी, पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर	-	-	-	(1,001.16)	(863.95)	(893.24)	-	-	-	(5,566.60)	(5,430.15)	(5,459.22)
8	अर्जन प्रति शेयर (प्रत्येक 10/- रूपए का) (जारी और बधित प्रचालनों के लिए) (वार्षिक नहीं)												
	(क) मूल (रुपए में)	(0.99)	(1.27)	(139.87)	(17.98)	(141.85)	(146.85)	(1.05)	(1.05)	(139.87)	(17.90)	(142.06)	(147.17)
	(ख) डायल्यूटेड (रूपए में)	(0.99)	(1.27)	(139.87)	(17.98)	(141.85)	(146.85)	(1.05)	(1.05)	(139.87)	(17.90)	(142.06)	(147.17)

नोट : 1) इन वित्तीय परिणामों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के साथ पठित इसके तहत जारी संगत नियमों और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के तहत उल्लिखित भारतीय लेखा मानकों में निर्धारित मान्य और परिमापन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है।

2) 31 दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा दिनांक 10.02.2020 को की गई और निदेशक मंडल द्वारा 10.02.2020 को आयोजित अपनी बैठक में इन्हें अनुमोदित किया गया।

3) बैंकों को देय ब्याज के भुगतान में चूक को देखते हुए एसटीसी को एनपीए घोषित किया गया था। ऋणदाता बैंकों ने कंपनी के खिलाफ डीआरटी में एवं सिंडीकेट बैंक द्वारा एनसीएलटी में कानूनी कार्यवाही आरंभ की थी। तथापि, सिंडीकेट बैंक द्वारा एनसीएलटी से अपनी कानूनी कार्यवाही वापस ले ली है और ऋणदाता बैंक भी डीआरटी से कानूनी कार्यवाहियों वापस लेने की प्रक्रिया में हैं। कंपनी ने पहले ही ऋणदाता बैंकों के साथ एकमुश्त समझौते का प्रस्ताव आरंभ किया हुआ है और तदनुसार भुगतान के भाग के रूप में संयुक्त ऋणदाता फोरम के अग्रणी, सिंडीकेट बैंक को ₹1100 करोड़, 29.03.2019 को (₹900 करोड़) और 27.05.2019 को (₹200 करोड़) का भुगतान कर दिया है। ऋणदाता बैंकों के साथ एकमुश्त समझौता प्रक्रियाधीन है और उचित स्तर पर इसका पुरजोर फालोअप किया जा रहा है।

4) कुल व्यापार प्राप्य ₹1111.60 करोड़, में विवाद/मुकदमें के अधीन रहते "क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि वाले" ₹ 973.37 करोड़ शामिल है और लंबे समय से बकाया है। तथापि, कोई क्रेडिट क्षति नहीं की गई है, क्योंकि कंपनी को लगता है कि यदि परिस्थितिवश राशि की वसूली नहीं भी होती है तो कंपनी द्वारा क्रेडिटर को व्यापार प्राप्यों में से वसूल न हुई राशि की सीमा तक कंपनी द्वारा देनदार को भुगतान नहीं किया जाएगा। यद्यपि कुछ मामलों में न्यायालय ने देनदारों को भुगतान करने के लिए एसटीसी को निर्देश दिया है।

5) एसटीसी को कार्यालय भवन के निर्माण के लिए एल एंड डीओ द्वारा पट्टा करार दिनांक 05.12.1975 के तहत ₹1000 वर्ग गज की दर से 2.599 एकड़ जमीन का प्लाट आवंटित किया गया था। 26.03.2018 को एल एंड डीओ ने अपने पत्र संख्या एल एंड डीओ/एलएसइए/9225/133 के तहत पट्टा विलेख की विभिन्न शर्तों के संबंध में ₹132.83 करोड़ की राशि की मांग एसटीसी से की। इसके बाद एल एंड डीओ ने उल्लेख किया कि पट्टा विलेख का निष्पादन पूर्ण भुगतान और मास्टर प्लान के तहत अनुमेय अनुसार परिसर का इस्तेमाल करने की शर्त पर किया जाएगा। तथापि एसटीसी ने मांग पर विवाद किया है और समाधान के उद्देश्य हेतु कुछ विवरण/स्पष्टीकरण मांगे हैं। इस मामले का बार-बार फालोअप करने के बावजूद भी एल एंड डीओ से अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराए जाने शेष हैं। आज तक एल एंड डीओ से कोई पुष्टि आदेश प्राप्त नहीं हुआ है इस प्रकार उक्त मांग हेतु स्पष्ट देयता का पता लगाना संभव नहीं है। फिर भी एसटीसी ने एल एंड डीओ को जवाहर व्यापार भवन की भूमि के उस क्षेत्र के विषय में सूचित किया है, जो एनडीएमसी और दिल्ली गेट्टो द्वारा क्रमशः 325.686 वर्गमीटर और 388.910 वर्गमीटर अधिग्रहित/प्रयुक्त किया गया था। एल एंड डीओ से यह भी अनुरोध किया गया है कि एसटीसी को प्रारंभिक रूप से आबंटित भूमि क्षेत्र में कटौती करने हेतु विचार किया जाए और क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो के शीघ्र निपटान हेतु दखल दी जाए।

6) यद्यपि कंपनी के निवल मूल्य का पूर्णतः क्षरण हो चुका है (यहां तक कि पुनर्मूल्यांकन रिजर्व सहित), प्रबंधन की राय में कंपनी सतत इकाई है क्योंकि कंपनी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सीपीएसई है। कंपनी मुख्य रूप से विभिन्न देशों के राज्य व्यापार संगठनों के साथ व्यापार, निर्यात को बढ़ावा देने और समय-समय पर सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए अनुसार वस्तुओं में बाजार हस्तक्षेप प्रचालनों को लेने के कारोबार में है। कंपनी के देश भर में 7 कार्यालय और 3 प्रतिनिधि कार्यालय हैं और किसी भी मात्रा की व्यापार गतिविधियों को करने हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरह सुसज्जित है। कंपनी कई व्यावसायिक अवसरों में भाग ले रही है। कंपनी पिछले कुछ वर्षों से उन सहयोगियों से भारी मात्रा में वसूलियों के कारण निधियों के अंतर्वाह और बहिर्वाह में असंतुलन का सामना कर रही है, जिनके साथ कंपनी ने व्यापार लेनदेन किये थे और जिन्होंने एसटीसी को समय पर भुगतान करने में चूक की थी। इससे अस्थायी वित्तीय संकट, परिचालन घाटे, निवल मूल्य में कमी हुई है। साथ ही साथ कंपनी ने दोषी सहयोगियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। एक प्रमुख व्यापार सहयोगी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर एसटीसी को पर्याप्त भुगतान किया है। इसने कंपनी के वित्तीय संकट को कुछ हद तक कम कर दिया है। इसलिए कंपनी ने ऋणदाता बैंकों के साथ समझौते का प्रस्ताव किया है।

इसके साथ ही कंपनी ने तरलता / लाभप्रदता में सुधार करने के लिए विभिन्न लागत में कमी के उपाय किए हैं, जैसे कि अलाभकारी शाखाओं को बंद करना, उन वस्तुओं में व्यापार करना जो उच्चतर व्यापार मार्जिन दे रही हों, आदि। इसके मद्देनजर ऐसा माना जाता है कि प्रस्तावित समझौते के पश्चात, आगे व्यापार गतिविधि के संचालन हेतु कंपनी के पास पर्याप्त धन उपलब्ध होगा। कंपनी ने भारत सरकार की ओर से व्यापार करने के लिए कुछ वित्त पोषित/गैर-वित्त पोषित सीमा उपलब्ध कराने के लिए जीएलएफ से भी अनुरोध किया है। ऐसा विश्वास है कि यह एसटीसी के लिए पुनरुद्धार की प्रक्रिया में पर्याप्त व्यापार मार्जिन उत्पन्न करेगा। ऐसा मानना है कि एसटीसी सतत घटक के रूप में विश्वस्त रूप से आगे बढ़ने की स्थिति में होगी। कंपनी की क्षमता, कारोबार योजनाओं और यथा मूल्यांकित भावी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, कंपनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिसी व्यावहारिक हल हासिल करने के लिए कंपनी काफी आश्वस्त है। इस तरह के संकल्प के लंबित रहते और ऊपर दिए गए तथ्यों पर विचार करते हुए:-

क. लेखे सतत इकाई के रूप में तैयार किए गए हैं।

ख. कारोबार योजना के संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि एसटीसी ने एमओयू के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ₹9000 करोड़ का कारोबार प्रस्तावित किया है, जिसकी बाबत रिपोर्टिंग अवधि तक लगभग एक तिहाई कारोबार प्राप्त कर लिया है।

ग. कंपनी ने आस्थगित कर परिसंपत्तियों को आगे बढ़ाना जारी रखा है, जो कि अपेक्षित व्यावसायिक अवसरों और कार्यशील पूंजी की बेहतर उपलब्धता के मद्देनजर भविष्य के मुनाफे के लिए उपलब्ध होगा।

घ. गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों की हानि के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है और

ङ. लागत में कटौती के उपाय के रूप में, कंपनी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) पेश की है, पहले चरण में वीआरएस 18.06.2018 से 17.07.2018 तक पेशेवरों को छोड़कर मुख्य प्रबंधक के स्तर तक शुरू की गयी। पहले चरण में वीआरएस में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अधिकतम 80 कर्मचारियों को कवर करना था। कुल 101 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 06 आवेदन खारिज कर दिए गए, 07 आवेदन वापस ले लिए गए। शेष 88 में से 80 कर्मचारियों के आवेदन को स्वीकार कर लिया गया और उनका बकाया भुगतान कर दिया गया। आगे दूसरा चरण भी 29.03.2019 से 29.04.2019 तक मुख्य प्रबंधक के स्तर तक पेश किया गया, जिसमें 43 आवेदन प्राप्त हुए और उनका निपटान कर दिया गया। आगे वीआरएस को 20.06.2019 को पेश किया गया है और इसे 31.03.2020 तक खुला रखा गया है। 31.01.2020 तक कुल 12 आवेदन प्राप्त हुए और सभी आवेदन स्वीकार किए गए, जिसमें से 11 कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया गया। एक आवेदन आवेदन लंबित है।

7) 01 अप्रैल 2019 को प्रभावी, कंपनी ने इंड एएस 116 "लीज" अपनाया, संशोधित पूर्व प्रभावी पद्धति का प्रयोग करते हुए 01 अप्रैल 2019 को मौजूद सभी पट्टा संविदाओं पर लागू किया और आरंभिक आवेदन की तिथि पर, रखे हुए अर्जनों में समेकित समायोजन किया है। तदनुसार, 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनीय को पूर्व प्रभाव से समायोजित नहीं किया है। हस्तांतरण पर, नये मानक अपनाने के परिणामस्वरूप ₹ 0.85 करोड़ की राईट-ऑफ-यूज एस्सेट (आरओयू), और ₹ 0.86 करोड़ की एक पट्टा देयता ज्ञात हुई, मानक लागू करने के समेकित प्रभाव के परिणामस्वरूप ₹ 0.01 करोड़ रखे गए अर्जनों, करों के निवल में से काटी गई। इसे अपनाने का प्रभाव अवधि हेतु लाभ और प्रति शेयर अर्जनों पर महत्वपूर्ण नहीं है।

8) लेखांकन विवेक के मामले के रूप में, 31.12.2019 को समाप्त अवधि की आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्य नहीं किया गया है।

9) पिछली अवधि के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक हो, मौजूदा अवधि के साथ तुलनीय बनाने के लिए पुनः व्यवस्थित/पुनर्गठित किया गया है।

निदेशक मंडल के आदेश से

(राजीव चोपड़ा)
निदेशक (विपणन), सीएमडी के अतिरिक्त प्रभार सहित
डीआईएन-06466326

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 10.02.2020

(रूगा नागरथ)
महाप्रबंधक – वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी